न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 55 / 2017

RCMS No. 2017/00247

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण:–**
जीवाराम पुत्र भगाराम जाति मेघवाल निवासी खटुकडा तहसील रानी जिला पाली		1. भारतसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी खुटुकडा तहसील रानी 2. सरपंच ग्राम पंचायत नादाना भाटान तहसील रानी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री कानाराम सोलंकी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांक:– 14/9/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, नादाना भाटान द्वारा मिसल संख्या 31 / 2008–2009, संकल्प संख्या 10 दिनांक 23.10.2009 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 23.10.2009 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थी के काका मूलाराम का पट्टासुदा मकान मौजा गांव खटुकडा में आया हुआ है, जिसका पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 30.11.1975 को जारी किया गया, किन्तु तत्कालीन सरपंच इन्द्रसिंह द्वारा उक्त पट्टे के उपर अपने कार्यकाल में बिना मिसल कायम किए अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 भारतसिंह को लाभ व फायदा पहुँचाने की नियत से नया पट्टा संख्या 31 दिनांक 23.10.2009 को जारी कर दिया, जबकि पंचायती राज अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी सरपंच अपने कार्यकाल में रहते हुए अपने रिश्तेदारों को किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुँचा सकता है, किन्तु तत्कालीन सरपंच द्वारा नियमों को ताक में रखते हुए पूर्व में जारी पट्टे की भूमि का क्षैत्रफल बढा कर जारी कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने में किसी भी प्रक्रिया की पालना नहीं की। उक्त भूमि का पूर्व में पट्टा मूलाराम के नाम से जारी हो चुका था, इस कारण उक्त भूमि पट्टा जारी करने हेतु उपलब्ध ही नहीं थी, इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षैत्र से परे जाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा खारिज किया जावे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने कब्जा सुदा भूमि का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत नादाना भाटान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा सचिव से नक्शा तैयार करवाया जाकर तीन वार्ड पंचो की कमेटी मनोनीत कर मौका निरीक्षण के आदेश पारित किए। मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अस्थाई निर्णय लिया जाकर एक माह के आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। नियत समयावधि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किए जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, नादाना भाटान द्वारा मिसल संख्या 31/2008–2009, संकल्प संख्या 10 दिनांक 23.10.2009 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 23.10.2009 के विरूद्ध पेश की गई है। ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत नादाना भादान ने अपने पत्रांक/146 दिनांक 06.02.2018 के जरिये रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित बैठक कार्यवाही विवरण एवं मिसल ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रकरण संख्या 22/2016 में अनुसंधान अधिकारी के समक्ष जो बयान दर्ज करवाये, उसमें कथन किया कि गांव में मूलाराम मेघवाल के नाम का पट्टासुदा प्लॉट आया हुआ स्थित है, जिसका 15 साल पहले मूलाराम की पत्नि को पैसो की जरूरत होने के कारण मेरे पिता को बेचान किया, फिर वर्ष 2008–09 में अभियान के दौरान मौके पर जितनी भूमि थी, उसका पट्टा मेरे नाम से बनवा दिया। इससे यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 को जैर निगरानी वादस्थ भूमि पर पट्टा जारी होने की जानकारी होते हुए भी उनके द्वारा ग्राम पंचायत से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते हुए उसी भूमि पर दुबारा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टासुदा भूमि पर पूर्व में पट्टा जारी होने के बावजूद दुबारा पट्टा जारी किया गया है, इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधि विरूद्ध पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, नादाना भाटान द्वारा मिसल संख्या 31/2008–2009, संकल्प संख्या 10 दिनांक 23.10.2009 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 23.10.2009 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का सम्बन्धित अभिलेख लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 14/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली